

13.08.25

आज यह पत्रावली पेश हुई व कुल 4 पक्षकारान उपाजित उन्हें सुना गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का मही मांति अध्यापन किया गया जो पता कि विवादित आराजीत का बर्क मीरुस एड 3005 विना विमजन नहीं हुआ है सदरवेस्टिग का प्रयोग इय पर कब्जा माना जाना चाहिए। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा चला नहीं बड़े व कारकी पेची दगीया फेदा नहीं हो इसके ध्यान में रखते हुए प्राथमिक-पत्र जारी करीकर किया गया प्राथमिक-पत्र में परिवारिकण के लिये मूल वरद जारी अध्यापन विशेषण द्वारा पारदर्शित किया जाता है कि 316 रकबा 0-70, 346 रकबा 0-50, 348 रकबा 0-16, बरके गाम निहार सहलीय मुकदमा (प्रत्यु) की रिकार्ड एवं मीरु की यथावत लिखाई बनाने रखें।

पत्रावली फिलम सुमा देका नम्बर विकम हो। संलग्न मूल वरद हो।

राधेश्याम शीतल  
उपरवर्त कर्मचारी  
उपखण्ड अधिकारी  
मुसाफिरा (मिरीसपुर)